समाहरणालय, सिवान
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–: आदेश :–

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2665 दिनांक 18.12.2014 के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक 216 दिनांक 09.02.2015 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर संलग्न रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

इस संबंध में कहना है कि विकलांग व्यक्तियों को निर्गत किये जाने वाले परिचय पत्र का नाम विकलांग प्रमाण पत्र–सह–परिचय पत्र होगा। सुयोग्य विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र–सह–परिचय पत्र निर्गत करने हेतु आयु सीमा का कोई बंधेज नहीं है। विकलांगता शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ऑगनवाड़ी सेविका के माध्यम से किया जायगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से विकलांगजनों को शिविर का स्थान तथा तिथि की जानकारी दी जायेगी। साथ ही यह भी प्रचार किया जायेगा कि जिन्हें एक बार विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत हो चुके है उन्हें दुबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शिविर में आवश्यकतानुसार सहायकों/पर्यवेक्षकों तथा अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति कर ली जायेगी तथा उचित मात्रा में टेबुल लगाकर बैठने की व्यवस्था कर ली जायेगी। शिविर में विभिन्न कार्यो के लिये अलग–अलग काउन्टर टेबल होंगे। जिसकी रूप–रेखा निम्न प्रकार होगी :–

i. आवेदक द्वारा शिविर में प्रवेश एवं निबंधन :– टेबल–I
ii. आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफी–आवेदक को पॉच प्रति फोटो तत्काल मुहैया करा दिया जायगा :– टेबल–II
iii. प्रमाणीकरण–संबंधित प्रक्षेत्र के विकलांगता वाले चिकित्सक के पास भेजा जाना एवं तत्काल विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना :– टेबल–III
iv. पेंशन की स्वीकृति–यदि 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता है तो आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में भरकर जमा करना एवं साथ–साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति करते हुए पेंशन पासबुक निर्गत किया जाना :– टेबल–IV
v. विकलांगता के प्रकार के अनुरूप विशेष उपकरण का माप एवं निर्धारण :– टेबल–V
vi. रेलवे में रियायती यात्रा प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना :– टेबल–VI

आवश्यक हो तो टेन्ट आदि की व्यवस्था कर ली जाय। प्र0वि0पदा0 शिविर में एक फोटो कॉपी मशीन की व्यवस्था भी करेंगे। शिविर के उपरान्त व्यय की गई राशि का ब्यौरा, शिविर में निर्गत प्रमाण–पत्रों की संख्या लाभान्वित की पूर्ण विवरणी, कुल पेंशन स्वीकृत लाभुकों की संख्या भरे हुए ADIP Form के साथ कार्यालय जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शिविर समाप्त होने पर संध्या में उपलब्ध कराया जाए तथा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त प्रतिवेदन को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

विदित हो कि शिविर में ADIP Form भराया जाना है, जिसमें लाभार्थी को आय प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी। अतः अंचल अधिकारी अपने राजस्व कर्मचारी के साथ शिविर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें, ताकि शिविर में ही लाभार्थियों को आय एवं जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सके। ADIP Form के साथ अनुलग्नक में विकलांगता प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, फोटो तथा SC/ST हेतु जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा सम्पूर्ण विकलांगता शिविर अभियान अधोहस्ताक्षरी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया जायेगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण पर इनका सम्पूर्ण नियंत्रण होगा। प्रखण्ड स्तर पर शिविर कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन का होगा। इस कार्य में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अनुप्लब्धता की स्थिति में अंचलाधिकारी उस कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकलांग शिविर में ससमय पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र के आलोक में विकलांगता की चिकित्सीय जाँच करेंगे तथा गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा उसी समय प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को आदेश दिया जाता है कि वे पूर्व में छपाई किये गये प्रमाण–पत्रों पर फैसिमिली हस्ताक्षर का मोहर लगाकर चिकित्सीय बोर्ड को उपलब्ध करायेगें। विकलांगता शिविर में विकलांगता के अनुरूप कोड अंकित किया जायेगा। शिविर में निर्गत प्रमाण–पत्र की एक पंजी का संधारण किया जायेगा। जिसमें विकलांग व्यक्ति का नाम तथा फोटो भी चिपकाना होगा। इसी पंजी पर संबंधित विकलांग प्राप्ति अंकित करेंगे।

आदेश दिया जाता है कि सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी/कर्मचारी इस आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें। विकलांगता शिविर कार्यक्रम में लापरवाही बरतनें वाले पदाधिकारी/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। चिकित्सा बोर्ड के चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति आदेश संलग्न विवरणी के अनुसार है।

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक ......69....../सा0सु0को0, दिनांक ......10.2.15......

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि सेविकाओं के माध्यम से सभी सर्वेक्षित विकलांगों जिनका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रण्खड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्रखण्डों में आयोजित शिविर में विधि व्यवस्था हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्सकों को शिविर की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान एवं जिला कार्य0 पदाधिकारी (SSA) को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि Audiometeric Machine के साथ जितेन्द्र ऑडियोलॉजिस्ट को शिविर में उपस्थित होने हेतु निदेश दिया जाए।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सिवान एवं सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त सारण प्रमण्डल, छपरा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में उनके पत्रांक 2665 दिनांक 18.12.2014 के संबंध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

D:\SSC Desktop\Anil kumar\New SSC\Biklang (Certificate) Sivir Aadesh 10022015.doc

विकलांग का प्रखण्डवार माइक्रोप्लान

1	बसंतपुर	प्रखण्ड मुख्यालय में	13.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 आर0एन0 सहाय, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. भरत प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट 8. अवध किशोर सिंह कुष्ठ
2	लकड़ीनबीगंज	प्रखण्ड मुख्यालय में	14.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 आर0एन0 सहाय, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. भरत प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट 8. अवध किशोर सिंह कुष्ठ
3	गोरेयाकोठी	पी0एच0सी0 मुख्यालय में	16.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 आर0एन0 सहाय, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. भरत प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
4	भगवानपुर	प्रखण्ड मुख्यालय में	18.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 आर0एन0 सहाय, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. भरत प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट 8. अवध किशोर सिंह कुष्ठ

5	दरौंदा	बी0आर0सी	19.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 विरेन्द्र कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
6	महाराजगंज	प्रखण्ड मुख्यालय में	20.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 सनत कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
7	पचरुखी	बी0आर0सी	21.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 बिरेन्द्र प्रसाद, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
8	हसनपुरा	प्रखण्ड मुख्यालय में	22.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 अभय कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट

9	सिसवन	प्रखण्ड मुख्यालय में	23.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 नागेन्द्र शर्मा, (अर्थोपेडिक्स) चि0रे0 अस्पताल, सिसवन 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
10	रघुनाथपुर	बी0आर0सी	24.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 नागेन्द्र शर्मा, (अर्थोपेडिक्स) चि0रे0 अस्पताल, सिसवन 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
11	दरौली	प्रखण्ड मुख्यालय में	25.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 नागेन्द्र शर्मा, (अर्थोपेडिक्स) चि0रे0 अस्पताल, सिसवन 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
12	गुठनी	प्रखण्ड मुख्यालय	26.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 अभय कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट

13	नवतन	प्रखण्ड मुख्यालय परिसर	27.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 बिरेन्द्र प्रसाद, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
14	मैरवा	प्रखण्ड मुख्यालय में	28.02.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 अभय कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
15	बड़हरिया	प्रखण्ड मुख्यालय में	2.03.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 अभय कुमार, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
16	हुसैनगंज	प्रखण्ड मुख्यालय परिसरं	3.03.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 हबीबुल्हा खान, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
17	आन्दर	प्रखण्ड मुख्यालय में	4.03.15	11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक	1. डा0 हबीबुल्हा खान, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, अस्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अवध किशोर सिंह, कुष्ठ सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट

18	जीरादेई	प्रखण्ड परिसर	9.03.15	**11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक**	1. डा0 बिरेन्द्र प्रसाद, (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 आर0सी0 ठाकुर, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 के0के0 मिश्रा प्रभारी चि0पदा0, जिरादेई (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. मनोज कुमार, लिपिक 6. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट
19	सदर प्रखण्ड	प्रखण्ड मुख्यालय में	10.03.15	**11 बजे पूर्वाह्न से समाप्ति तक**	1. डा0 एम0के0 आलम (अर्थोपेडिक्स) 2. डा0 अनिल कुमार सिंह, (नेत्र चिकित्सक) 3. डा0 प्रदिप कुमार (ENT चिकित्सक) 4. अरविन्द कुमार, यक्ष्मा सहायक 5. अशोक प्रसाद, नेत्र सहायक 6. मनोज कुमार, लिपिक 7. जितेन्द्र, ऑडियोलॉजिस्ट

जिला पदाधिकारी,
सिवान